लेटर्स पेटेंट आवेदन

d. K. Mahajan and bhopinder singh dhillon, न्यायमूर्ति. के समक्ष,

बाजार समिति, करनालऔर अन्य-अपीलार्थी।

बनाम। ,;

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 90 <of11970.

23 अप्रैल, 1970।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का xxiii)-धारा 14,17 और 36-धारा 17 के तहत नियुक्त बाजार समिति के सदस्य-समिति का चुनाव तीन साल की समाप्ति के बाद नहीं हुआ-ऐसे नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल-क्या नए चुनाव होने तक जारी रहना है-धारा 36 का सहारा लें-क्या ऐसी स्थिति में हो सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि बाजार समिति के सदस्यों का कार्यकाल पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 14 में उपबंधित है और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 17 किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना बंद करने या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ होने या धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरण या निष्कासन के माध्यम से या अन्यथा किसी रिक्ति की घटना की कल्पना करती है। इस धारा के प्रावधान के तहत, यदि बाजार समिति का कोई सदस्य इस्तीफा देता है या बाजार समिति के अधिसूचित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना बंद कर देता है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बने रहने वाला माना जाएगा इसका मतलब यह नहीं है कि यदि बाजार समिति का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है और कोई नया चुनाव नहीं होता है, तो धारा 17 के तहत नियुक्त सदस्य नए चुनाव होने तक बने रहेंगे। यदि इस निर्माण को अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान पर रखा जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से बाजार समिति का चुनाव नहीं हो सकता है, भले ही तीन साल की अवधि समाप्त हो गई हो। यह निर्माण धारा 12 के साथ-साथ अधिनियम की धारा 14 के विशिष्ट और अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ होगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां सरकार समिति के पूर्व निर्वाचित सदस्यों के पद की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहती है, वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें अधिनियम के प्रयोजनों को उसके प्रावधानों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता है और सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार बाजार समिति के प्रशासक की नियुक्ति करके अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्य कर सकती है।

माननीय न्यायमूर्ति श्री बाल राज तुली के दिनांक 12 फरवरी, 1970 के निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड x के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील सिविल रिट सं. 1969 का 1813।

निर्णय

S. Dhillon. न्यायमूर्ति , यह न्यायाधीश तुली के दिनांक 12 फरवरी, 1970 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड x के तहत एक अपील है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील के तर्क को समझने के लिए, कुछ तथ्यों को बताया जा सकता है।

(2) पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से करनाल की बाजार समिति के लिए चुनाव 4 मार्च, 1965 को हुए थे, लेकिन सदस्यों के नाम 20

जुलाई 1966 को अधिसूचित किए गए थे। बाजार समिति, करनाल के सदस्य के रूप में चुने गए किशन चंद का 8 जनवरी, 1967 को निधन हो गया और उनकी मृत्यु के कारण हुई रिक्ति के विरुद्ध ईश्वर सिंह को अधिनियम की धारा 17 के तहत बाजार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने हरियाणा सरकार के उप सचिव को पत्र लिखा कि बाजार समिति, करनाल का कार्यकाल 20 जुलाई, 1969 को समाप्त हो रहा है और उप-मंडल अधिकारी (सिविल) को प्रशासक नियुक्त किया जाए। यह आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने अधिनियम की धारा 36 के तहत जारी करने के लिए एक अधिसूचना तैयार करना शुरू कर दिया और उक्त अधिसूचना जारी होने से पहले, अपीलकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और स्थगन आदेश प्राप्त किया। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों और इस विषय पर प्रासंगिक नियमों के अनुसार 4 महीने की अवधि के भीतर बाजार समिति, करनाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया और अन्य सभी मामलों में रिट याचिका खारिज कर दी गई।

(3) अपीलार्थियों के विद्वत वकील श्री. आनंद सरूप का मुख्य तर्क यह है कि हरियाणा सरकार अधिनियम की धारा 36 के उपबंधों को लागू करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि अधिनियम के उपबंधों के अधीन हरियाणा सरकार का यह कर्तव्य था कि वह निर्वाचित बाजार समिति की अवधि की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 20 जुलाई, 1969 से पूर्व चुनाव कराने की व्यवस्था करे और हरियाणा सरकार ऐसा करने में विफल रहने पर अपने कुकर्मों का लाभ नहीं उठा सकती और किसी अन्य व्यक्ति को बाजार समिति, करनाल का प्रशासक नियुक्त करके अधिनियम की धारा 36 के उपबंधों का सहारा ले सकती है। उनका तर्क है कि श्री ईश्वर सिंह, जिन्हें अधिनियम की धारा 17 के तहत नियुक्त किया गया था, का कार्यकाल तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते और इसलिए वर्तमान समिति तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा कानून के अनुसार नए चुनाव नहीं हो जाते। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान इस निष्कर्ष की दिशा में एक सूचक हैं और इसलिए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 36 के तहत अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए और 4 अप्रैल, 1965 को निर्वाचित समिति, जिसका चुनाव 20 जुलाई, 1966 को अधिसूचित किया गया था, को नए चुनाव होने तक जारी रखा जाना चाहिए।

(4) हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील के इस तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। बाजार समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार हैं। इस मामले में, तीन साल की अवधि 20 जुलाई, 1969 को समाप्त हो गई और उसके बाद जिन सदस्यों के चुनाव को 20 जुलाई, 1966 को अधिसूचित किया गया था, वे बाजार समिति, करनाल के सदस्य नहीं रह गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह पिछले निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने की व्यवस्था करे, लेकिन यदि सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहती है, तो इस न्यायालय द्वारा केवल एक आदेश जारी किया जा सकता है जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया है। इस मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक निर्देश जारी किया गया है कि राज्य सरकार विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था करे।

(5) अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:- 17(1). जब भी कोई सदस्य मर जाता है, इस्तीफा देता है, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना बंद कर देता है या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार या अन्यथा स्थानांतरण या निष्कासन के माध्यम से कोई रिक्ति होती है, तो राज्य सरकार धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य नियुक्त कर सकती है।

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त सदस्य की पदावधि उसी तारीख को समाप्त हो जाएगी जब खाली करने वाले सदस्य की पदावधि समाप्त हो जाती, यदि बाद वाले ने धारा 14 के तहत अनुमत पूरी अवधि के लिए पद संभाला होता, जब

तक कि पहले ऊपर उल्लिखित सदस्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक नए सदस्य की नियुक्ति में देरी नहीं होती है, उस स्थिति में यह उस तारीख को समाप्त हो जाएगी जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

17(2). यदि राज्य सरकार किसी विद्यमान समिति के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 करने का विनिश्चय करती है तो अतिरिक्त रिक्तियों को उपखंड (1) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा और नियुक्त अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल समिति के वर्तमान सदस्यों के कार्यकाल का अप्रचलित भाग होगा

विद्वत वकील ने धारा 17 के परन्तुक का अर्थ यह समझा कि यदि पहले उल्लिखित सदस्य, अर्थात् निवर्तमान सदस्य के उत्तराधिकारी के रूप में किसी नए सदस्य की नियुक्ति में विलम्ब होता है, तो उस स्थिति में नियुक्त सदस्य का कार्यकाल उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उनका तर्क है कि नए चुनाव होने तक ईश्वर सिंह, जिन्हें किशन चंद की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति में अधिनियम की धारा 17 के तहत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, सदस्य बने रहेंगे और चूंकि टुकड़ों में चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए बाजार समिति के अन्य सदस्य भी नए चुनाव होने तक पद पर बने रहेंगे। हम अधिनियम की धारा 17 के परन्तुक को यह आधार देने में असमर्थ हैं कि मारकेट समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा 14 के तहत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, जो कि तीन वर्ष की अवधि है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 12 के अधीन बाजार समिति गठित की जाती है, जिसमें कतिपय सदस्य उत्पादक सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में से चुने जाते हैं; अधिनियम की धारा 10 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त सदस्य। अधिनियम की धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्तिधारियों और सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्यों के बीच। एक नई बाजार समिति का विधिवत गठन तभी किया जाएगा जब इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों से बाजार समिति का चुनाव किया जाएगा। यदि निर्माण, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा सुझाया गया है, अधिनियम की धारा 17 की कार्यवाही में रखा जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से बाजार समिति का चुनाव तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद नहीं हो सकता है। यह निर्माण धारा 12 के साथ-साथ अधिनियम की धारा 14 के विशिष्ट और अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ होगा।

(7) अधिनियम की धारा 17 किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करना बंद करने या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ होने या धारा 15 के प्रावधान के अनुसार या अन्यथा स्थानांतरण या निष्कासन के माध्यम से हुई किसी रिक्ति के कारण रिक्ति की घटना की कल्पना करती है। धारा 17 का परंतुक, जब नव नियुक्त सदस्य के कार्यकाल की बात करता है, तो इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि बाजार समिति का कोई सदस्य इस्तीफा देता है या बाजार समिति के अधिसूचित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहना बंद कर देता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा।

(8) अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई है, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के बाद, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की स्थिति में अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार समिति के पूर्व निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के अपने कर्तव्य में विफल रही, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें अधिनियम के उद्देश्य को उसके प्रावधानों के अनुसार पूरा नहीं किया जा सकता था और राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जानी थी। इसलिए, हमें यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं दिखता है कि राज्य सरकार इस तरह की स्थिति में अधिनियम की धारा 36 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है।

(9) कोई अन्य बिंदु नहीं दबाया गया है।

(10) ऊपर अभिलिखित कारणों के लिए, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा**)